रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2000/ज्येष्ठ 22, 1922
No. 123] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2000/JYAISTHA 22, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2000

विषय :—यू.एस.ए., सिंगापुर और नीदरलैंड से आइसोप्रोपिल एल्कोहल (आईपीए) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

12/1/2000-डीजीएडी.—मैसर्स नेशनल आरगैनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि. ने घरेलू उद्योग की ओर से 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें यू.एस.ए., सिंगापुर और नीदरलैंड से आइसोप्रोपिल एल्कोहल के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पादः**- वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद सम्बधित देशों के मूल का अथवा वहां से निर्यातित आइसोप्रोपिल एल्कोहल (बल्क और पैक्ड) है (जिसे इसके पश्चात् सम्बद्ध वस्तु भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2905.1201 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकर नहीं है ।

2. **घरेलू उद्योग की हैसियतः**-यह याचिका मैं नेशनल आरगैनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि. मुम्बई द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्त्ता भारत में आइसोप्रोपिल एल्कोहल का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए याचिकाकर्त्ता घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की मूलभूत शर्तों को पूरा करता है ।

3. **संबंधित देशः**-वर्तमान जांच में शामिल देश यूएसए, सिंगापुर और नीदरलैंड हैं (जिन्हें इसमें इसके बाद सम्बद्ध देश भी कहा गया है) ।

4. **समान वस्तुएं**-याचिकाकर्त्ता का कहना है कि उसके द्वारा उत्पादित माल, सम्बन्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तुएं हैं । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित माल को, नियमावली के अर्थों के भीतर सम्बद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तुएं माना जा रहा हैं ।

5. **सामान्य मूल्य :**-याचिकाकर्ता ने यूएसए, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमोत्तर यूरोप के लिए विश्व भर में रसायन उद्योग में जानी मानी मैगजीन आईसीआईआर-एंलओआर में दर्शाई गई कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया हैं । आइसोप्रोपिल एल्कोहल की दर्शाई गई कीमत यूएसए में 590 यूएस डालर प्र. मी. टन, सिंगापुर में 460 यूएसए डालर प्रति मी. टन तथा नीदरलैंड में 572 यूएस डालर प्रति मी.टन है ।

6. **निर्यात कीमतः**- याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि अप्रैल,1998 से अगस्त,1999 की अवधि के लिए डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा आयात आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं । वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए आयात आंकड़े डीजीसीआई एण्ड एस पर आधारित हैं । याचिकाकर्त्ता ने कारखानागत कीमत का हिसाब लगाने के लिए समुद्री भाड़े ,समुद्री बीमे, अन्तर्देशीय भाड़े, बन्दरगाह व्यय और कमीशन के लिए समायोजन की मांग की है ।

7. **डम्पिंग मार्जिनः**- इस बात के प्रथम दृष्ठया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सम्बद्ध देशों का सामान्य मूल्य, उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया । इस बात से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है ।

8. **क्षति तथा कारणात्मक संबंधः**- क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्ड जैसे गिरती हुई घरेलू कीमतें, बढ़े हुए स्टॉक, छूट गए संविदा और लाभप्रदत्ता में कमी इत्यादि समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण आर्थिक क्षति हुई है ।

9. **पाटनरोधी जांच का आरंभः**- उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी , सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वसतुओं की कथित डम्पिंग होने उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं ।

10. **जांच की अवधि :-** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 तक की है।

11. **सूचना देना:-** सम्बद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों जिनके इससे संबंधित होने की जानकारी है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी प्रभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती हैं ।

12. **समय सीमा:-** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

13. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:-** नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अनय हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

14. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती हैं तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2000

Subject: - Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Isopropyl Alcohol (IPA) from USA, Singapore and Netherlands.

No. 12/1/2000-DGAD- M/s National Organic Chemical Industries Limited on behalf of the domestic industry has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act,. 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated

Authority (herein after referred to as the Authority) alleging dumping of Isopropyl Alcohol from USA, Singapore and Netherlands and requested for anti dumping investigations and levy of anti dumping duties.

1. **Product involved:** The product involved in the present petition is Isopropyl Alcohol (Bulk & Packed) (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from the subject countries and classified under Customs Sub-heading 2905.1201 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification, is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. **Domestic Industry Standing**: The petition has been filed by the M/s National Organic Chemical Industries Limited, Mumbai. The petitioner is the sole producer of Isopropyl Alcohol in India and, therefore, the petitioner satisfies the standing to file the petition on behalf of the domestic industry.

3. **Country(ies) involved**: The countries involved in present investigation is USA, Singapore and Netherlands (also referred to as to as subject countries hereinafter).

4.. **Like Articles:** The petitioner has claimed that goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from the subject countries. Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

5. **Normal Value:** The petitioner has claimed normal value based on the price indicating in the ICIR – LOR, a well recognised magazine in the chemical industry world over for USA, South East Asia and North West Europe. The price indicated of Isopropyl Alcohol in USA is US$ 590 PMT, for Singapore US$ 460 PMT and for Netherlands US$572 PMT.

6. **Export Price:** The petitioner has claimed that Import Statistics are available through DGCI&S, Calcutta for the period April, 1998 to August, 1999. Import statistics for the year 1997-98 and 1998-99 is based on DGCI&S. The petitioner has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, port expenses and commission to arrive at the ex-factory price.

7. **Dumping Margin:** There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject countries is significantly higher than the

price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

8. **Injury and Causal Link:** Various parameters relating to injury such as suppressed domestic price, increased stock, lost contracts and reduction in profitability etc. prima-facie indicate collectively and cumulatively that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

9. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** The Designated Authority, in view of the foregoing paragraph, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

10. **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of present investigation is January, 1999 to December, 1999.

11. **Submission of Information**: The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Anti Dumping Division, Udyog Bhawan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **Time Limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

13. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.